उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 1553/2021

विनोद कुमार,

.....याचिकाकर्ता।

बनाम

1. आयुक्त, जीएसटी, उत्तराखण्ड राज्य।
2. सहायक आयुक्त, जीएसटी, उत्तराखण्ड राज्य।
3. संयुक्त/अपर आयुक्त, अपील, जीएसटी, उत्तराखण्ड राज्य।

..... उत्तरदातागण।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री एस.के. पोस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री आशुतोष पोस्ती, सहायक अधिवक्ता
राज्य/उत्तरदातागण की ओर से ब्रीफ होल्डर श्री मोहित मौलेखी।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जज.

श्री एस.के. पोस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री आशुतोष पोस्ती, सहायक अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री मोहित मौलेखी, ब्रीफ होल्डर, राज्य/उत्तरदाताओं की ओर से।

वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता के द्वारा दिनांक 21.09.2019 के अपेक्षित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसके आधार पर उसके द्वारा देय शेष कर, ब्याज और जुर्माना के प्रेषण में चूक के कारण उसका जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

रिट याचिका पर इस न्यायालय द्वारा गुण–दोष के आधार पर विचार किया गया था और इसे निर्णय दिनांकित 30.09.2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

इस मामले में विशेष अपील संख्या 123/2021 योजित की गयी थी जो स्वीकार करते हुये मामले के समक्ष रखा गया था, जिसे दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 20.06.2022 द्वारा स्वीकार करते हुये एकल न्यायाधीश की खण्डपीठ को पुनर्विचार हेतु वापस प्रेषित किया गया है।

मामले को पुनर्जीवित किया गया और दिनांक 16.08.2022 को सुनवायी हेतु नियत किया गया। जिससे कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के दिये गये निर्देशों को पूर्ण कर सके कि वह विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन के अनुसरण में पूरी अवशेष बकाया धनराशि एवं साथ ही साथ याचिकाकर्ता का जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के समय देय जुर्माना करने को तैयार है एवं इस शर्त के साथ कि, नवीनीकरण केवल

याचिकाकर्ता द्वारा पूरी अवशेष बकाया धनराशि जमा करने की शर्त पर ही प्रतिवादियों द्वारा किया जायेगा।

प्रतिवादी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर दिया गया है, यदि याचिकाकर्ता अवशेष बकाया धनराशि एवं साथ ही सथ याचिकाकर्ता का जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के समय देय जुर्माना एवं ब्याज की पूरी अवशेष बकाया धनराशि जमा करता है, जो यदि याचिकाकर्ता द्वारा पहले से जमा नहीं किया गया है, तो उसका पूर्व पंजीकरण प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि जमा करने की तरीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नवीनीकृत माना जाएगा।

उपरोक्त वर्णित शर्तों पर रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(**शरद कुमार शर्मा, जज**)
18.08.2022

महिन्दर/